भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 536

जिसका उत्तर मंगलवार 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है

रुग्ण सरकारी उपक्रमों को बंद करना

536. श्री सी. एस. पुट्टा राजू:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार कई रुग्ण सरकारी उपक्रमों को बंद करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो बंद किए जाने वाले सरकारी उपक्रमों की संख्या कितनी है तथा ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पूर्व में बंद हुए सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को पुन: नियोजित करने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के हानि में चल रहे प्रत्येक उद्यम का मूल्यांकन करता है और जिन उद्यमों में कायापलट होने की संभावना होती है उन उद्यमों का पुनरुद्धार किया जाता है और जो उद्यम क्रमिक रूप से रुग्ण पाए जाते हैं उनका विनिवेश अथवा उनके कर्मचारियों को आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस)/स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम (वीएसएस) तथा देय क्षतिपूर्ति के भुगतान के पश्चात् बंद कर दिया जाता है, इस परंपरा के अनुसार, सरकार ने भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 6 उद्यमों (सीपीएसई) यथा हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चिरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ), हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल), तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल), एचएमटी वाचिज लिमिटेड, एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड और एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने भारी उद्योग विभाग के अधीन इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड की कोटा इकाई और एचएमटी लिमिटेड की ट्रैक्टर डिविजन को भी बंद करने का निर्णय लिया है। ये सीपीएसई/इकाइयां खराब आर्डर बुक, कार्यशील पूंजी का अभाव, अधिशेष जनशक्ति, अप्रचलित संयंत्र एवं मशीनरी, बदलती बाजार परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में कठिनाई सहित कई सारे कारकों की वजह से रुग्णता का शिकार हो गईं थीं। इन सीपीएसई/इकाइयों के कर्मचारियों को 2007 के नोशनल वेतनमानों पर आकर्षक वीआरएस/वीएसएस की पेशकश की गई है।

(ग) और (घ): वर्तमान में, भारी उद्योग विभाग ऐसी कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं कर रही है।

******